न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 01/2017 नामान्तरकरण अपील

1. विक्रम पुत्र दुर्गालाल उम्र 12 वर्ष लगभग } नाबालिगान जरिये वली संरक्षक पिता
2. सपना पुत्री दुर्गालाल उम्र 6 वर्ष लगभग } दुर्गालाल पुत्र सुक्काराम

समस्त जाति माली निवासी गीजगढ तहसील सिकराय, जिला दौसा राज.

अपीलान्ट्स

बनाम

1. सुक्काराम पुत्र झूँथाराम
2. गोपाल पुत्र गिर्राज

जाति माली निवासी गीजगढ तहसील सिकराय जिला दौसा

3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सिकराय, जिला दौसा

4. उप पंजीयक, तहसील सिकराय जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय योग्य अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय निर्णय दिनांक 06.06.2016 बाबत नामान्तरकरण संख्या 3324 वाके ग्राम गीजगढ तहसील सिकराय जिला दौसा

उपस्थिति : श्री निर्मल कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।
: राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांकः 31.01.2018

संक्षिप्त मे अपील के तथ्य इस प्रकार है कि खाता संख्या नया 528, खाता संख्या पुराना 499 भूमि खसरा नम्बर 122 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम गीजगढ तहसील सिकराय जिला दौसा मे स्थित है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में भूमि खसरा नम्बर 122 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा में हिस्सा 1/2 रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के नाम दर्ज है। सजरा खानदान के अनुसार सुक्काराम के दो पुत्र है, एक का नाम दुर्गालाल व दूसरे का नाम गिर्राज है, दुर्गालाल के एक पुत्र जिसका नाम विक्रम है व दूसरी पुत्री है जिसका नाम सपना है, जो कि अपीलान्ट्स है। सुक्काराम ने अपने जीवन काल में ही अपने नाम भूमि का बटवारा अपने दोनो पुत्रो के बीच मे कर दिया है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 सुक्काराम के दोनो पुत्र अपने अपने हक व हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। इस प्रकार अपीलान्ट्स नम्बर 1, 2 अपने बाबा सुक्का की भूमि पर काबिज काश्त हो गये है। चूंकि

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

अपीलान्ट्स के बाबा का नाम सुक्काराम है, और अपीलान्ट्स, सुक्काराम के नाम दर्ज भूमि के हिस्सा 1/2 पर काबिज काश्त होने के कारण हिस्सा 1/2 की भूमि की खातेदारी को अपने नाम करवाने के अधिकारी है, चूंकि भूमि पैतृक है। इस भूमि को रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को बेचान करने का कोई अधिकार नही है, चूंकि इस भूमि का विधिवत बटवारा आज दिन तक नही हो सका है, बिना बंटवारे रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 इस भूमि का बेचान नही कर सकते है, इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट न0 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट नं. 02 के हक में एक गिफ्ट डीड दिनांक 19.05.2016 को करवा दी, जो कि न्यायहित में गलत है। चूंकि रेस्पोडेन्ट नं. 01 का जो रिश्ता रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 से है वही रिश्ता अपीलान्ट्स से भी है। अपीलान्ट्स भी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के रिश्ते में पोत्र एवं पोत्री लगते है अगर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 के हक में गिफ्ट डीड करवाता है तो उसके अपीलान्ट्स के हक में गिफ्ट डीड इतने ही हिस्से की करवानी चाहिये थी, परन्तु रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 द्वारा ऐसा नही करते हुयू रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 के हक में दिनांक 19.5.2016 को हिस्सा 73/170 की भूमि में से हिस्सा 5/12 की गिफ्ट डीड रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 के नाम से करवा दी, जिसका नामान्तरकरण भी रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 के नाम से खुल चुका है तथा दिनांक 6.6.2016 को तहसीलदार सिकराय द्वारा इस नामान्तरकरण को स्वीकृत कर दिया गया जो कि गलत है। उक्त नामान्तरकरण सं0 3324 दिनांक 6.6.2016 ग्राम गीजगढ तहसील सिकराय के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील अपीलान्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पो0 की गयी। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं0 1, 2, 4 बावजूद तामील उपस्थित नही हुये। अधिवक्ता अपीलान्ट्स एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि खाता सं0 528, खाता सं0 पुराना 499 भूमि खसरा नम्बर 122 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम गीजगढ तहसील सिकराय में स्थित है, राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में भूमि खसरा नम्बर 122 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा में हिस्सा 1/2 रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के नाम दर्ज है। रेस्पोडेन्ट नं. 01 ने अपने जीवनकाल में ही अपने नाम भूमि का बटवारा अपने दोनो पुत्रो के बीच मे कर दिया है तथा सुक्काराम के दोनो पुत्र अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। चूंकि उक्त भूमि पैतृक भूमि है जिसको बेचान करने का रेस्पोडेन्ट नं. 01 को कोई अधिकार नही है। इस भूमि का विधिवत बटवारा आज दिन तक नही हो सका है। अपीलान्ट्स सुक्काराम के नाम दर्ज भूमि के हिस्सा 1/2 पर काबिज काश्त होने कारण हिस्सा 1/2 की खातेदारी अपने नाम करवाने के अधिकारी है। किन्तु रेस्पोडेन्ट नं. 01 द्वारा ऐसा नही करते हुए रेस्पोडेन्ट नं. 02 के हक में दिनांक 19.05.2016 को हिस्सा 73/170 की भूमि में से 5/12 की गिफ्ट डीड रेस्पोडेन्ट नं. 02 के नाम से करवा दी इस भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्ट्स द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय के यहां एक दावा उद्घोषणा एवं स्थाई निषेघाज्ञा का पेश कर रखा है साथ में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेघाज्ञा भी पेश कर रखी है। जिसमें न्यायालय द्वारा रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाऐ रखने के आदेश जारी कर रखे है। परन्तु इन सब बातो की जानकारी होने के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट नं. 01 द्वारा रेस्पोडेन्ट नं. 02 के हक में गिफ्ट डीड कर दी गई तथा इस गिफ्ट डीड से जो भूमि रेस्पोडेन्ट नं. 02 के नाम से आई है उस भूमि का नामान्तरकरण भी रेस्पोडेन्ट नं. 02 के हक में दिनांक 06.06.2016 को स्वीकृत कर दिया

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

गया। नामान्तरकरण की यह सम्पूर्ण कार्यवाही जालसाजी पूर्ण तरीके से कि गई है जिसका अपीलान्ट्स को कतई इल्म नही होने दिया गया। उपखण्ड अधिकारी सिकराय के स्थगन आदेश को भी अनदेखा करते हुए भूमि की गिफ्ट डीड हो गयी व नामान्तरकरण भी स्वीकृत हो गया। जो अपीलान्ट्स के हितो पर कुठाराघात है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाते हुए नामान्तरकरण सं. 3324 दिनांक 06.06.2016 वाके ग्राम गीजगढ तहसील सिकराय को निरस्त फरमावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रश्नगत भूमि के खातेदार सुक्काराम पुत्र झूथाराम जाति माली द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 19.05.2016 के द्वारा हिस्सा 73/170 मे से हिस्सा 5/12 भूमि का बेचान गोपाल पुत्र गिर्राज जाति माली को किया जाने पर तहसीलदार सिकराय द्वारा 06.06.2016 को प्रश्नगत नामान्तरकरण सं. 3324 स्वीकृत किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमाई जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि उक्त उनवानी मु.न. 24/2016 अस्थाई निषेघाज्ञा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में विचाराधीन होकर स्थगन के दौरान उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। अतः स्थगन आदेश प्रचलित होने के दौरान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना उचित नही है। अतः प्रकरण रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 3324 दिनांक 06.06.2016 ग्राम गीजगढ तहसील सिकराय को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार सिकराय को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में विचाराधीन प्रकरण के सम्बन्ध में जानकारी कर, यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश प्रचलित नही हो तो विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 31.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा